भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-385
बुधवार, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 (शक)

कार्य बल में महिलाओं की सहभागिता

385. प्रो॰ एम॰ वी॰ राजीव गौडाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में रोजगार की मांग करने वाली महिलाओं की संख्या की तुलना में रोजगार प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या क्या है;

(ख) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां महिलाओं की सहभागिता घटी है, बढ़ी है और स्थिर रही है; और

(ग) 2014 से अब तक महिलाओं की सहभागिता में हुई कमी का आयु-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार-बेरोजगारी पर आयोजित उपलब्ध श्रम बल सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य प्रमुख स्थिति (यूपीएस) आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित श्रम बल भागीदार दर अनुबंध में दी गई है।

सरकार ने महिलाओं सहित युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने हेतु अनेक पहलें की हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाओं को समन्वित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता नामक नया मंत्रालय स्थापित किया गया है। महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। महिला कामगारों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण तैयार करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने महिला श्रम भागीदारी दर में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें प्रसूति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 का अधिनियमन भी शामिल है जिसमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने तथा 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रैच सुविधा के प्रावधानों का प्रावधान शामिल हैं; महिला कामगारों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात की पाली में अनुमति देने हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत राज्यों को निर्देशिका जारी करना।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुष एवं महिला कामगारों हेतु बिना किसी भेदभाव के समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी पुरुष एवं महिला कामगारों दोनों पर समान रूप से लागू होती है और यह अधिनियम लिंग आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है।

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 06.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 385 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तीसरे, चौथें एवं पांचवे ईयूएस के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु सामान्य प्रमुख स्थिति (यूपीएस) दृष्टिकोण के अनुसार 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु श्रम बल भागीदारी दर (प्रति 1000)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अखिल भारत	तीसरा ईयूएस (2012-13)	चौथा ईयूएस (2013-14)	पांचवां ईयूएस (2015-16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आंध्र प्रदेश	433	474	466
2	अरुणाचल प्रदेश	448	495	370
3	असम	172	230	204
4	बिहार	109	156	142
5	छत्तीसगढ़	422	459	543
6	दिल्ली	118	105	122
7	गोवा	251	277	246
8	गुजरात	164	241	192
9	हरियाणा	116	125	145
10	हिमाचल प्रदेश	469	433	170
11	जम्मू और कश्मीर	120	143	105
12	झारखंड	182	156	204
13	कर्नाटक	304	319	327
14	केरल	234	299	308
15	मध्य प्रदेश	290	294	174
16	महाराष्ट्र	328	340	330
17	मणिपुर	249	324	304
18	मेघालय	456	475	467
19	मिजोरम	490	511	540
20	नागालैंड	352	340	536
21	ओडिशा	223	223	186
22	पंजाब	125	109	111
23	राजस्थान	177	218	215
24	सिक्किम	378	359	328
25	तमिलनाडु	336	374	392
26	तेलंगाना		535	440
27	त्रिपुरा	226	221	314
28	उत्तराखंड	154	202	195
29	उत्तर प्रदेश	83	96	112
30	पश्चिम बंगाल	180	164	188
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	235	381	347
32	चंडीगढ़	133	124	82
33	दादरा और नागर हवेली	168	135	174
34	दमन और दीव	88	34	151
35	लक्षद्वीप	124	238	169
36	पुडुचेरी	237	278	304
अखिल भारत		226	258	237